

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : ३० मार्च, 2013

विषय:-वर्ष 2011-12 में आयी बाढ़ से विभिन्न विभागों की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में हुई क्षति की पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-681/मु0रा0ले0-दै0आ0-2011-12, दिनांक 14 मार्च, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-12 में आयी बाढ़ से विभिन्न विभागों की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में हुई क्षति की पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-4474 / 1-10-2011-12(34) / 2011टी.सी.-9, दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 द्वारा मांगी गयी कुल धनराशि ₹0 20,18,37,000/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में ₹0 5,04,59,250/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-601 / 1-10-2012- 33(22) / 2012, दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा धनराशि ₹0 15,13,77,500/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-312 / मु0रा0ले0-दै0आ0-2011-12, दिनांक 21 मई, 2012 द्वारा मुख्यतः ट्रेजरी चेक संख्या-सी0ई0-068794, दिनांक 31.03.2012 द्वारा ₹0 05,20,04,250/- एवं ट्रेजरी चेक संख्या-सी0ई0-068799, दिनांक 31.03.2012 द्वारा ₹0 24,60,000/- के अभुगतान प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रेषित करते हुये सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की नुकसानी/क्षति की मरम्मत हेतु अभुगतानित (कालातीत होने के कारण) धनराशि ₹0 5,44,64,250/- के धनावंटन की अपेक्षा की गयी थी। अब आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 14 मार्च, 2013 द्वारा अधिशासी अभियंता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड-मीरजापुर के लिए ही अवशेष धनराशि ₹0 5,20,04,000/- जो अभुगतानित थी, के धनावंटन की अपेक्षा की गयी है। अतः अधिशासी अभियंता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड-मीरजापुर (सिंचाई विभाग) के मरम्मत/पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कराने के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि ₹0 5,20,04,000 /- (रूपये पाँच करोड़ बीस लाख चार हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलरवरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

२५

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं0 2660 / 1-10-2012-रा0-10- 33(171) / 2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्रकरण से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए आवंटित/अवमुक्त धनराशि जो आहरित न होना बताया गया है के सम्बन्ध में सन्दर्भित धनराशि का आहरित न होने का सत्यापन किये जाने के पश्चात् कार्यदायी संस्था/विभाग को स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78 / पी0एस0आर0 / 2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7 / 2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785 / 1-10-2011-12(73) / 2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं0 1341 / 1-10-2012-12(73) / 2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।


6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कठिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।




भवदीय,  
एल० वेंकटेश्वरलू )  
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 1425(1)/1-10-2013-12(34)/2011टी.सी०-९, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2— आयुक्त, विध्यांचल मण्डल, मीरजापुर/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन/प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र।
- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी राजस्व अनुभाग—10/राजस्व अनुभाग—6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 10— गार्ड फाइल।



अनु स  
( विनोद कुमार शर्मा )  
अनु सचिव।